

**ग्राम पंचायत नलेटी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017**

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नलेटी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।
अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्री रामेश्वर चन्द शर्मा	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमति सीमा देवी	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्री मोहर सिंह	1-4-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नलेटी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक के अन्तःशेष में भारी अन्तर	1.21
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	7.71
3	11	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.55
4	15	निर्माण कार्यों का मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान	4.81

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नलेटी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3-11-2017 से 8-11-2017 तक ग्राम पंचायत नलेटी में किया गया।
लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
--------------	----	------

2014-15	10/2014	3/2015
2015-16	2/2016	10/2015
2016-17	3/2017	2/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नलेटी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 286 /2017 दिनांक 8-11-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत नलेटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्रोत :-** ग्राम पंचायत नलेटी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	136610	52121	188731	54163	134568
2015-16	134568	39095	173663	86811	86852
2016-17	86852	89197	176049	43889	132160

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत नलेटी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	629311	1660308	2289619	1796638	492981
2015-16	492981	2038848	2531829	1979902	551927
2016-17	551927	2484995	3036922	2265665	771257

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष ₹1.21 लाख का भारी अन्तर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नलेटी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹120742 का भारी अंतर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष 132160

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 771257

योग 903417

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा व हस्तगत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	CBI PRAGPUR	2168748881	57903
2	CBI PRAGPUR	3567535644	100951
3	KCCB NEHRAN PUKHAR	50055815598	278
4	KCCB NEHRAN PUKHAR	50055817017	85879
5	KCCB NEHRAN PUKHAR	20122024809	672044
6	PNB PRAGPUR	6153000 100017279	58898
7	PNB PRAGPUR	6153000 100017288	43808
8	POST OFFICE NALETI		3567
	CASH IN HAND	General Cash Book	761
		IWMP	70
		TOTAL	₹1024159

अन्तर = ₹1024159 – ₹903417 = ₹120742

6 नियमों के विपरीत नकद भुगतान:---

सामान्य रोकड़ बही तथा बैंक पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में सचिव द्वारा लाखों रुपये की राशि अपने नाम से चेक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों तथा मजदूरों को भुगतान की है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त, बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते] नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि एक हजार से अधिक का भुगतान चेक द्वारा किया जाना है। अतः सचिव के नाम से चेक द्वारा राशि आहरित करने के मामलों बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

7 डाकघर बचत खाते की पास बुक जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :---

ग्राम पंचायत द्वारा डाकघर बचत खाते में दिनांक 31.3.17 को ₹3567 जमा दर्शाई गई है परन्तु पास बुक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

8 निर्धारित फार्म में बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

9 गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹7.71 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹771257 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

11 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.55 का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत नलेटी द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार GRDY, SFC, ZP में दिनांक 31-03-2017 को ₹54855 ऋणात्मक दर्शाई गयी है, जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन GRDY, SFC, ZP में अथवा किसी अन्य योजना से GRDY, SFC, ZP का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं।

GRDY	(-)10969
SFC	(-)25308
ZP	(-)18578
	(-)54855

12 प्राप्त गृहकर ₹300 को रोकड़ बही व बैंक में जमा न करवाना

सचिव ग्राम पंचायत नलेटी द्वारा ₹300 को गृहकर (house tax) के रूप में ली गयी राशि को न तो रोकड़ बही और न ही बैंक में जमा करवाया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है। अतः राशि की वसूली उचित स्रोत से करके शीघ्र जमा करवाया जाए।

मास	रसीद सं. से	रसीद सं. तक	राशि
3/2017	0650995	0651000	50
			300

13 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

14 बर्तनों के क्रय पर ₹800 का अनुचित प्रभार :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 8 के अनुसार निम्नानुसार बर्तनों के क्रय पर किया गया व्यय अनुचित प्रभार है जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या	मास	विवरण	मात्रा	दर	राशि
89	2/2017	पतीला	1	800	800

15 निर्माण कार्यों का मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹4.81 लाख का भुगतान

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों का तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन (Assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹480931 का भुगतान मूल्यांकन (Assessment) के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
सामान्य रोकड़ बही			
146	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	27600
Nil	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	40800
Nil	3/2015	निर्माण लिंक रोड कबीरपंथी बस्ती से रामेश्वर के घर तक	19200
156	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	25167
158	3/2015	निर्माण लिंक रोड रणवीर की जमीन से धियाण पीपल तक	5400
160	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	15817
161	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	31700
162	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	500
163	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	100
164	3/2015	निर्माण पक्का रास्ता नाथ के घर से घराट नाली तक	256
166	3/2015	निर्माण लिंक रोड कबीरपंथी बस्ती	2000
Nil	3/2015	निर्माण लिंक रोड रामनाथ के घर से राम किशन के खेत तक	4320
88	10/2015	निर्माण लिंक रोड पहाड़िया बाबा समडोल बेहड	4080
90	10/2015	निर्माण लिंक रोड पहाड़िया बाबा समडोल बेहड	36020
91	10/2015	निर्माण लिंक रोड पहाड़िया बाबा समडोल बेहड	45000
Nil	10/2015	निर्माण लिंक रोड पहाड़िया बाबा समडोल बेहड	64250
97	10/2015	निर्माण लिंक रोड पहाड़िया बाबा समडोल बेहड	21500
98	10/2015	निर्माण लिंक रोड पहाड़िया बाबा समडोल बेहड	20175
100	10/2015	मुरम्मत रास्ता रमन के घर से शिव मंदिर	2908
101	10/2015	मुरम्मत रास्ता रमन के घर से शिव मंदिर	5130
Nil	2/2017	निर्माण पानी टैंकी नजदीक पंचायत घर	13320
MGNREGA			
12	3/2015	निर्माण डंगा राजकुमार तथा सोहन लाल की जमीन	16146
24	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	15876
25	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	8748

26	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	3564
27	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	17010
28	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	14094
29	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	2106
30	10/2015	निर्माण नाली राम किशन की जमीन से किशन की जमीन तक	18144
			₹480931

16 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	परिसम्पत्ति (Assets) रजिस्टर	8	

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 18 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 19 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)156 / 2017 खण्ड-1-3073-3076 दिनांक
07.05.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत नलेटी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881